

झारखंड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक:-3/पीएमसी/प्र०स्वी०/73/2016 48/20-21 प्र०स्वी० राँची, दिनांक:- 19-03-21

प्रेषक:

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखंड, हिन्नु, राँची।

द्वारा: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग।

विषय:- सिंचाई यॉत्रिक प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत नन्दनी जलाशय योजना के **Emergency Repair** कार्य हेतु रु० 0.753 लाख (पचहत्तर हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

- सिंचाई यॉत्रिक प्रमण्डल, राँची के अन्तर्गत नन्दनी जलाशय योजना के Emergency Repair कार्य हेतु रु० 0.753 लाख (पचहत्तर हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव में कराये जाने वाले कार्यों का अवयववार विवरणी निम्नवत् है :-

Sl. no	Description of Work	Amount
1.	Employing divers for under water survey such as finding disconnected point and repair them too.	60000.00
2.	S.S. nut and bolts for joining coupling or lifting lug with gate	1400.00
3.	Labours for assisting divers	712.14
4.	Extension pipe of 8 mm thick 75 mm outer diameter	3791.64
	Total	65903.78
	G.S.T 12%	7908.45
	Total	73812.23
	L/C 1%	738.12
	Contingency 1%	738.12
	Total	75288.47
	Say Rs.	75300.00

- इस कार्य के लिए कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यॉत्रिक प्रमण्डल, राँची निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा मुख्य अभियंता (यॉत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
- इस कार्य पर होने वाला व्यय :-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्य शीर्ष-80-सामान्य लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उपशीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा।

उपरोक्त बजट शीर्ष के वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु एकमुश्त रु० 523.00 लाख का प्रावधान है।

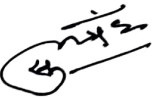
5. इस कार्य का समावेश वर्ष 2020-21, के सी०ओ०बी०टी० में समेकित रूप में है।
6. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण कर लिया जाएगा।
7. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम '300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायेगा।
8. राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची से की जायेगी।
9. किसी भी स्थिति में राशि की निकासी बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।
10. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
11. कार्य में निकलने वाले सामग्रियों का स्क्रेप मूल्य वर्तमान दर के 40% की राशि संवेदक के विपत्र से कटौती कर सरकारी राजस्व में जमा करना होगा।
12. योजना हेतु पूर्व से स्वीकृत संरचनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने के पूर्व सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर ली जाएगी।
13. इसके कार्यान्वयन के पूर्व पुनर्स्थापन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
14. इस कार्य की फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी, कार्य के प्रारम्भ, कार्य के दौरान एवं कार्य के पूर्ण होने पर करा लिया जायेगा।
15. कार्य के निविदा निस्तारण के क्रम में विभागीय पत्रांक-3112, दिनांक-14.06.2019 की कंडिका-6.11 में निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
16. इस पर आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
17. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखंड, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,


18/03/21
प्रशांत कुमार
सचिव

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016 48/20-21 5-03/21 राँची, दिनांक:-19-03-21
प्रतिलिपि: आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखंड को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखंड, राँची को संसूचनार्थ/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


19/03/21
(अशोक कुमार दास)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)



पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016 48/20-21 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:- 19-03-21

प्रतिलिपि: कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016 48/20-21 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:- 19-03-21

प्रतिलिपि: अभियंता प्रमुख-I/II, जल संसाधन विभाग, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची/संयुक्त सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता (याँत्रिक) जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई याँत्रिक अंचल, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, राँची/अधीक्षण अभियंता योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल-1/2/3 राँची एवं प्रशाखा पदाधिकारी-7 जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016 48/20-21 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:- 19-03-21

प्रतिलिपि: आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

पत्रांक:-3/पी०एम०सी०/प्र०स्वी०/73/2016 48/20-21 प्र०स्वी०/राँची, दिनांक:- 19-03-21

प्रतिलिपि: वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल सं०-3, राँची को प्रशासनिक स्वीकृति On-line करने हेतु प्रेषित।


(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

